

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अलत उपखण्ड अधिकारी अलवर

मुकाम अलवर

सबीर बाई बनाम मंगतूसिंह

किरम मुकदमा प्रा0 पत्र 212 रा0का0अधि0 नं0 2/74/03.09.2021 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03.09.2021	<p>आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन करने पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा. 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 28.09.2021 तक पाबन्द किया जाता है कि वो खसरा नम्बर 430 रकबा 1.13 हैक्टे., 433 रकबा 0.03 हैक्टे., 434 रकबा 0.01, 435 रकबा 0.01, 436 रकबा 1.02 हैक्टे. वाकेग्राम गुजूकी तहसील अलवर के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब हो, कि क्यों ना उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा Absolute कर दिया जावे। यदि कोई आक्षेप हो तो दिनांक 28.09.2021 को उपस्थित होकर पेश करे। पत्रावली दिनांक 28.09.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज०)</p> <p>17/9/21 वकील प्रार्थनी के प्रा० पत्र पर पत्रावली पेश हुई। वकील वादी के मध्य पत्र हुई। पत्रावली पत्र वादी पत्रावली, हल के पत्र प्रार्थनी/वादी</p>	<p>लोड अलवर के प्रा० पत्र से परिभाषित किया गया है यहल है</p>

विद्युत विभाग का चयन हो गया,
प्राथमिक फल भी विद्युत विभाग
का है। प्राथमिक पर कुशल
सुख हो, नमस्ते उम्मीद
दिलाने के लिए है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)